मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

शुक्रवार, दिनांक 25 नवम्बर, 2011 (अग्रहायण 4, 1933)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.31 बजे समवेत हुई.

1. केन्द्रीय कृषि मंत्री के साथ हुई घटना की निन्दा की जाना

श्री कैलाश विजयवर्गीय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री तथा श्री अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष द्वारा दिनांक 24 नवम्बर, 2011 को श्री शरद पवार, केन्द्रीय कृषि मंत्री के साथ हुई मारपीट की घटना की निन्दा करने की मांग की गई। अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की भावनाओं का सम्मान करते हुए, उक्त घटना की सदन की ओर से घोर निन्दा की गई।

2. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 16 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये। प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46(2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 154 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 139 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर शामिल थे।

3. पृच्छा

श्री अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस पक्ष के सदस्यों द्वारा एक न्यायालयीन प्रकरण में मंत्री को पक्षद्रोही घोषित करने संबंधी बात कहते हुए सदन से बहिर्गमन किया गया।

4. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से सूचित किया गया कि नियम 267-क के अधीन लम्बित सूचनाओं में से 37 सूचनाएं नियम 267-क (2) को शिथिल कर आज सदन में लिये जाने की अनुज्ञा प्रदान की गई है। ये सूचनाएं संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेंगी तथा इन सभी सूचनाओं को उत्तर के लिये संबंधित विभागों को भेजा जाएगा। तद्नुसार -

(1) श्री राजेन्द्र फूलचंद वर्मा, सदस्य की देवास के सोनकच्छ एवं टोंकखुर्द में विद्युत कनेक्शन न होने,
(2) श्री पारस सकलेचा, सदस्य की रतलाम में सड़कों की हालत खराब होने,
(3) इंजी. प्रदीप लारिया, सदस्य की नरयावली में पेयजल संकट होने,
(4) श्री शैलेन्द्र कुमार जैन, सदस्य की सागर स्थित ढाना हवाई पट्टी के क्षतिग्रस्त होने,
(5) श्री मोती कश्यप, सदस्य की उमरिया जिले के ग्राम पथरहटा की एक बालिका के गायब होने,
(6) श्री रमेश प्रसाद खटीक, सदस्य की शिवपुरी जिले में विद्युत सब स्टेशन न बनाये जाने,
(7) श्री शंकरलाल तिवारी, सदस्य की नगर निगम, सतना द्वारा सड़क निर्माण में गुणवत्ता विहीन कार्य होने,
(8) कुंवर विक्रम सिंह, सदस्य की छतरपुर क्षेत्र के राजनगर के ग्रामों में विद्युत कटौती होने,
(9) श्रीमती मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़, सदस्य की इंदौर के मऊ नाका स्थित पुराने पुल का चौड़ीकरण न होने,
(10) श्री आरिफ अकील, सदस्य की भोपाल नगर में नियमित रूप से पेयजल प्रदाय न होने,
(11) श्री सुदर्शन गुप्ता, सदस्य की इंदौर के विमानतल के समीप अवैध बूचड़खाने संचालित होने,
(12) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य की टीकमगढ़ के बल्देवगढ़ में मत्स्यपालन का पट्टा निरस्त किये जाने,
(13) श्री जुगुल किशोर, सदस्य की सतना के ग्राम पौड़ी एवं गुलई में ट्रांसफार्मरों के काम न करने,
(14) श्री तुलसीराम सिलावट, सदस्य की पॉलीटेक्निक के छात्रों को लेपटाप हेतु राशि दी जाने,
(15) श्री विश्वास सारंग, सदस्य की भोपाल के नरेला में चिकित्सालय न होने,
(16) श्री सुदामा सिंह सिग्राम, सदस्य की पुष्पराजगढ़ में किसानों को उन्नत किस्म के बीज न दिये जाने,
(17) श्री गिरिजाशंकर शर्मा, सदस्य की नर्मदापुरम संभाग में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग का कार्यालय प्रारम्भ न होने,
(18) श्री विश्वेश्वर भगत, सदस्य की बालाघाट के ग्रामीण क्षेत्रों में गायों में इल्लियों आदि की बीमारी फैलने,
(19) श्री नारायण सिंह पट्टा, सदस्य की जुनवानी के घुघरी अंतर्गत जलाशयों की गेट-वॉल लीकेज होने,
(20) श्री पुरूषोत्तम दांगी, सदस्य की राजगढ़-ब्यावरा राजमार्ग सड़क के खराब होने,
(21) श्री लोकेन्द्र सिंह तोमर, सदस्य की खंडवा जिले के ग्राम उट्टी के कृषक का ट्रेक्टर गायब होने,
(22) श्री के.पी. सिंह, सदस्य की शिवपुरी जिले के मोहानी एवं समोहा बांध की नहरों का मुआवजा न देने,
(23) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, सदस्य की मंदसौर शहर में नदी प्रदूषित होने,
(24) श्री रामलखन सिंह, सदस्य की शस्त्र नवीनीकरण का कार्य शुरू किये जाने,
(25) श्री संजय पाठक, सदस्य की कटनी एवं नरसिंहपुर में विपणन संघ द्वारा निजी विक्रेताओं को खाद विक्रय करने,
(26) श्री मानवेन्द्र सिंह, सदस्य की छतरपुर के ग्राम टीला में विद्युत कनेक्शन न होने,

(27) श्री प्रदीप अमृतलाल जायसवाल, सदस्य की बालाघाट में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना का कार्य बंद होने,

(28) श्रीमती साधना स्थापक, सदस्य की गाडरवारा में छोटे ट्रांसफार्मर्स के बदलने का काम धीमी गति से होने,

(29) श्री अभय कुमार मिश्रा, सदस्य की सेमरिया के वनकुईया में अवैधानिक स्टोन क्रेशर संचालित होने,

(30) श्री रामदयाल अहिरवार, सदस्य की छतरपुर के ग्राम प्रकाश बम्होरी में चंदवास मार्ग पर नाले का पानी बहने,

(31) श्री ध्रुवनारायण सिंह, सदस्य की औद्योगिक विकास निगम द्वारा उद्योगपतियों को भूमि आवंटित की जाने,

(32) श्रीमती उमादेवी खटीक, सदस्य की दमोह जिले में हितग्राहियों को वितरित पशु कमजोर एवं बीमार होने,

(33) श्री नागर सिंह चौहान, सदस्य की अलीराजपुर में पेयजल संकट होने,

(34) श्री रामनिवास रावत, सदस्य की श्योपुर जिले के वीरपुर के ग्रामों में विद्युत न मिलने

(35) श्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, सदस्य की धार जिले की ग्राम पंचायतों में उचित मूल्य की दुकानें न खुलने

(36) श्री प्रताप ग्रेवाल, सदस्य की सरदारपुर क्षेत्र में कई ट्रान्सफार्मर्स जले होने तथा

(37) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य की पुलिस थाना, नागदा द्वारा एक व्यक्ति को गलत आरोपी बनाये जाने संबंधी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत हुई मानी गई।

5. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री राघवजी, वाणिज्यिक कर मंत्री ने वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचनाएं दिनांक 27 सितम्बर, 2011 तथा 4 अक्टूबर, 2011 पटल पर रखीं।

(2) श्री कैलाश विजयवर्गीय, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने मध्यप्रदेश स्टेट इलेक्ट्रानिक्स डेव्हलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड का छब्बीसवां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2009-10 पटल पर रखा।

6. ध्यानाकर्षण

(श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, सदस्य, ग्वालियर में एक महिला के प्रति आपत्तिजनक घटना संबंधी उनकी ध्यानाकर्षण सूचना पर चर्चा की मांग करते हुए सदन के गर्भगृह में आए तथा कुछ समय पश्चात् अध्यक्ष महोदय के निर्देश पर वापस अपने आसन पर गए।)

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से सूचित किया गया कि नियम 138 (3) के अनुसार, किसी एक बैठक में 2 से अधिक ध्यानाकर्षण सूचनाएं नहीं ली जा सकती हैं। सदस्यों की ओर से अभी तक प्राप्त ध्यानाकर्षण की सूचनाओं में दर्शाये गये विषयों की अविलम्बनीयता तथा महत्व के साथ ही माननीय सदस्यों के विशेष आग्रह को देखते हुए सदन की अनुमति की प्रत्याशा में नियम को शिथिल करके आज की कार्यसूची में 7 सूचनाएं सम्मिलित किये जाने की अनुज्ञा प्रदान की गई है। तद्नुसार -

(1) श्रीमती साधना स्थापक, सदस्य ने प्रदेश में निजी वेयर हाउस में रखे अनाज की उचित देखभाल न होने की ओर राज्यमंत्री, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण का ध्यान आकर्षित किया।

श्री पारस जैन, राज्यमंत्री, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री गोविन्द सिंह राजपूत, सदस्य ने सागर में पदस्थ सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा अनियमितता किये जाने की ओर आदिम जाति कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

कुंवर विजय शाह, आदिम जाति कल्याण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(3) श्री अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष, श्री तुलसीराम सिलावट एवं चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्यगण ने इंदौर जिले के ग्रामीण अंचल में विद्युत संकट होने की ओर राज्यमंत्री, ऊर्जा का ध्यान आकर्षित किया।

श्री राजेन्द्र शुक्ल, राज्यमंत्री, ऊर्जा एवं डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(श्री अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस पक्ष के सदस्यों द्वारा प्रदेश में विद्युत संकट के सम्बन्ध में, शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया गया)

(4) श्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, सदस्य ने धार जिले के थाना कानवन अंतर्गत महिला की हत्या के अपराधी गिरफ्तार न किये जाने की ओर राज्यमंत्री, गृह का ध्यान आकर्षित किया।

श्री नारायन सिंह कुशवाह, राज्यमंत्री, गृह ने इस पर वक्तव्य दिया।

(5) सर्वश्री सुरेन्द्र सिंह गहरवार तथा शंकरलाल तिवारी, सदस्यगण ने सतना जिले के चित्रकूट विधान सभा क्षेत्र में पटना बांध निर्माण लंबित होने की ओर पशुपालन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री अजय विश्नोई, पशुपालन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(6) श्री राधेलाल बघेल, सदस्य ने रीवा जिले के चोरहटा में हर्बल प्लांट निर्माण में अनियमितता होने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री सरताज सिंह, वन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(7) इंजी. प्रदीप लारिया, सदस्य ने सागर जिले के कर्रापुर में कृषि उप मंडी स्थापित न किये जाने की ओर किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

7. कार्य मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं स्वीकृति

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि कार्यमंत्रणा समिति की बैठक सोमवार,दिनांक 25 नवम्बर, 2011 को सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित शासकीय विधेयकों एवं वित्तीय कार्यों पर चर्चा हेतु समय आवंटित किये जाने की सिफारिश की गई हैः-

क्रमांक	शासकीय विधेयक एवं वित्तीय कार्य	निर्धारित समय
(1)	मध्यप्रदेश पथ विक्रेता (जीविका का संरक्षण और पथ विक्रय का विनियमन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 33 सन् 2011) (विधेयक का नाम परिवर्तित)	1 घण्टा
(2)	मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 34 सन् 2011)	30 मिनट
(3)	मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 35 सन् 2011)	1 घण्टा
(4)	मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 36 सन् 2011)	30 मिनट
(5)	मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 37 सन् 2011)	30 मिनट
(6)	राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 38 सन् 2011)	30 मिनट
(7)	मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 44 सन् 2011)	30 मिनट
(8)	अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय विधेयक, 2011 (क्रमांक 47 सन् 2011)	1 घण्टा
(9)	मध्यप्रदेश वेट संशोधन (विधिमान्यताकरण) विधेयक, 2011 (क्रमांक 46 सन् 2011)	30 मिनट
(10)	वर्ष 1993-94, 1994-95, 1998-99 तथा 2001-02 की अधिकाई अनुदानों की मांगों पर मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन, विचार एवं पारण.	30 मिनट

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि - उपाध्यक्ष महोदय ने शासकीय विधेयकों एवं अन्य कार्यों पर चर्चा के लिए समय निर्धारण करने के संबंध में कार्यमंत्रणा समिति की जो सिफारिशें पढ़ कर सुनाई, उन्हें सदन स्वीकृति देता है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(अपराह्न 12.56 से 2.37 बजे तक अन्तराल)

8. अध्यक्षीय व्यवस्था

अशासकीय संकल्प के समय में परिवर्तन संबंधी घोषणा

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से यह घोषणा की गई कि आज सदन की बैठक के अंतिम ढाई घन्टे अशासकीय कार्य के लिए नियत हैं, परन्तु आज की दैनिक कार्यसूची के पद 17 तक नियत कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् अशासकीय कार्य (अशासकीय संकल्प) लिए जायेंगे।

9. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

श्री मोती कश्यप, सभापति ने याचिका समिति का ग्यारहवां से चौदहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

10. याचिकाओं की प्रस्तुति

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित -
(1) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की भिण्ड जिले के,
(2) श्री पुरुषोत्तम दांगी, सदस्य की राजगढ़ जिले के,
(3) श्री शैलेन्द्र कुमार जैन, सदस्य की सागर जिले के,
(4) श्रीमती साधना स्थापक, सदस्य की नरसिंहपुर जिले के,
(5) श्री जुगुल किशोर, सदस्य की सतना जिले के तथा
(6) श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति, सदस्य की भोपाल शहर के
विकास कार्यों संबंधी याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं।

11. वर्ष 1993-94, 1994-95, 1998-99 एवं 2001-02 के आधिक्यों के विवरण का उपस्थापन

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने राज्यपाल महोदय के निर्देशानुसार - वर्ष 1993-94, 1994-95, 1998-99 एवं 2001-2002 के मतदत्त अनुदानों और भारित विनियोगों पर आधिक्यों का विवरण उपस्थापित किया।

12. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री बाबूलाल गौर, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने मध्यप्रदेश पथ पर विक्रय करने वालों की जीविका का संरक्षण और विक्रय का विनियमन विधेयक, 2011 (क्रमांक 33 सन् 2011) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया।

(2) श्री बाबूलाल गौर, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 34 सन् 2011) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया।

(3) श्री अजय विश्नोई, पशुपालन मंत्री ने मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 35 सन् 2011) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया।

13. वर्ष 1993-94 की अधिकाई अनुदानों की मांगों पर मतदान

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि -

"दिनांक 31 मार्च, 1994 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 3, 8, 15, 16, 20, 24, 27, 29, 30, 42, 44, 45, 49, 57, 58, 67, 70 एवं 73 के लिए स्वीकृत राशि के अतिरिक्त किये गये समस्त अधिकाई व्यय की पूर्ति के निमित्त राज्यपाल महोदय को दो सौ अट्ठावन करोड़, सात लाख, दो हजार, आठ सौ छप्पन रूपये की राशि दिया जाना प्राधिकृत किया जाय."

अधिकाई मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

14. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक 5) विधेयक, 2011 (क्रमांक 40 सन 2011) का पुर:स्थापन किया तथा प्रस्ताव किया कि विधेयक पर विचार किया जाय।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(विधेयक पर खण्डशः विचारोपरान्त)

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक 5) विधेयक, 2011 (क्रमांक 40 सन 2011) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

15. वर्ष 1994-95 की अधिकाई अनुदानों की मांगों पर मतदान

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि -

"दिनांक 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 8, 20, 24, 30, 32, 42, 47, 58, 60, 63, 67 एवं 73 के लिए स्वीकृत राशि के अतिरिक्त किये गये समस्त अधिकाई व्यय की पूर्ति के निमित्त राज्यपाल महोदय को एक सौ पचासी करोड़, सतासी लाख, सतानवे हजार, चौरासी रूपये की राशि दिया जाना प्राधिकृत किया जाय."

अधिकाई मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

16. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक 6) विधेयक, 2011 (क्रमांक 41 सन 2011) का पुर:स्थापन किया तथा प्रस्ताव किया कि विधेयक पर विचार किया जाय।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(विधेयक पर खण्डशः विचारोपरान्त)

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक 6) विधेयक, 2011 (क्रमांक 41 सन 2011) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

17. वर्ष 1998-99 की अधिकाई अनुदानों की मांगों पर मतदान

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि -

"दिनांक 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 2, 14, 20, 24, 25, 27, 50, 58, 59, 62, 67 एवं 77 के लिए स्वीकृत राशि के अतिरिक्त किये गये समस्त अधिकाई व्यय की पूर्ति के निमित्त राज्यपाल महोदय को चार सौ बह्त्तर करोड़, पचपन लाख, अस्सी हजार, नौ सौ चार रूपये की राशि दिया जाना प्राधिकृत किया जाय."

अधिकाई मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

18. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक 7) विधेयक, 2011 (क्रमांक 42 सन 2011) का पुर:स्थापन किया तथा प्रस्ताव किया कि विधेयक पर विचार किया जाय।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(विधेयक पर खण्डशः विचारोपरान्त)

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक 7) विधेयक, 2011 (क्रमांक 42 सन 2011) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

19. वर्ष 2001-02 की अधिकाई अनुदानों की मांगों पर मतदान

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि -

"दिनांक 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 6, 20 एवं 23 के लिए स्वीकृत राशि के अतिरिक्त किये गये समस्त अधिकाई व्यय की पूर्ति के निमित्त राज्यपाल महोदय को शून्य रूपये की राशि दिया जाना प्राधिकृत किया जाय."

अधिकाई मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

20. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक 8) विधेयक, 2011 (क्रमांक 43 सन 2011) का पुर:स्थापन किया तथा प्रस्ताव किया कि विधेयक पर विचार किया जाय।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(विधेयक पर खण्डशः विचारोपरान्त)

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक 8) विधेयक, 2011 (क्रमांक 43 सन 2011) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ

21. वर्ष 2011-12 की द्वितीय अनुपूरक मांगों पर मतदान

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की गई कि परम्परानुसार, अनुपूरक मांगों की चर्चा में सभी मांगे एक साथ प्रस्तुत की जाकर उन पर एक साथ चर्चा होती है, अतः वित्त मंत्री द्वारा सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत की जाएं। तद्नुसार, श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि -

"दिनांक 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 58, 60, 63, 64, 65, 67, 69, 72, 73, 74, 75 तथा 77 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर तैंतीस सौ छियासठ करोड़, उन्नीस लाख, अठहत्तर हजार, चार सौ रुपये की अनुपूरक राशि दी जाए.".

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) डॉ. गोविन्द सिंह
(2) श्री ओमप्रकाश वीरेन्द्र कुमार सकलेचा
(3) श्री रामलखन सिंह
(4) श्री पारस सकलेचा
(5) श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर
(6) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया
(7) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर
(8) श्री शंकरलाल तिवारी
(9) श्री नारायण प्रजापति
(10) श्री रमेश प्रसाद खटीक
(11) श्री रामलाल मालवीय
(12) श्री पुरूषोत्तम दांगी
(13) श्री कमल पटेल
(14) डॉ. निशिथ पटेल

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

अनुपूरक मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

22. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-8) विधेयक, 2011 (क्रमांक 43 सन् 2011) का पुरःस्थापन किया तथा प्रस्ताव किया कि विधेयक पर विचार किया जाय।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(विधेयक पर खण्डशः विचारोपरान्त)

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक 8) विधेयक, 2011 (क्रमांक 43 सन 2011) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ

23. अशासकीय संकल्प

(1) श्री रामनिवास रावत, सदस्य का संकल्प -"यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि देश में बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी एवं अपराधों में वृद्धि आदि समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए, राष्ट्रीय हित में परिवार नियोजन के लिये कानून बनाया जाय." उनकी अनुपस्थिति के कारण प्रस्तुत नहीं हुआ।

(2) श्री गोविन्द सिंह राजपूत, सदस्य ने यह संकल्प प्रस्तुत किया कि -"यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि प्रदेश में खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने हेतु कानून में फांसी की सजा दिये जाने का प्रावधान किया जाय." तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

सदन की अनुमति से संकल्प वापस हुआ।

(3) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य ने यह संकल्प प्रस्तुत किया कि -"यह सदन केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से अनुरोध करता है कि डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों के पैकेटों पर हिन्दी एवं अंग्रेजी में शाकाहार एवं मांसाहार खाद्य पदार्थ लिखा जाना अनिवार्य किया जाय." तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

(4) श्री बृजमोहन धूत, सदस्य ने यह संकल्प प्रस्तुत किया कि - "यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि हरदा से हंडिया, नेमावर, खातेगांव, कन्नौद होते हुए इंदौर तक नई रेलवे लाईन डाली जाय." तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 5.37 बजे विधान सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 28 नवम्बर, 2011 (अग्रहायण 7, 1933) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 25 नवम्बर, 2011